दो गज दूरी, मास्क जरूरी
सावधानी ही सुरक्षा

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2019 जयपुर, दिनांक: 12·06·2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.2021।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प7(1)गृह-7/2021 दिनांक 23.05.2021 के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों को प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। अब राज्य में कोविड संक्रमण की दर में कमी आने की स्थिति में कोविड दिशा-निर्देशों एवं सोशियल डिस्टेन्सिंग की पालना करते हुए योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते है-

1. योजनान्तर्गत श्रमिकों के नियोजन हेतु अधिक से अधिक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये जाकर मांग अनुसार अनेक कार्यों पर उनका नियोजन किया जावें।
2. लाइन विभागों को कन्वर्जेन्स अथवा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में अधिक से अधिक कार्य करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जावें।
3. ऐसे सामुदायिक कार्यों पर जहाँ मौके की स्थिति अनुसार अलग-अलग समूहों में विभक्त कर, अलग-अलग स्थानों पर नियोजित किया जा सकता हो, वहाँ 30 श्रमिक नियोजित किये जावें तथा श्रमिकों की मांग अधिक होने पर एक कार्य स्थल पर आवश्यकतानुसार अधिकतम 50 श्रमिक सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर की अनुमति से नियोजित किये जा सकते है।
4. प्रासंगिक पत्र के शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं महिला बाल विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पं.रा. विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग।
9. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
10. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
11. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस